हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/03/23	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी दीगज कार्यों मे व्यस्त है, मिसल इत्तला होकर पत्रायली पुर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 04/04/23 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
04/04/23	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी ने बहस सुनने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करने योग्य है। अतः निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से कम हो। (हस्ताक्षर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी)

राजस्व आवेदन सं. 119/2017

अन्तर्गत धारा 131,136 RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. पीथाराम पुत्र रामाराम 2. कानाराम पुत्र रामाराम जाति कोली, निवासी–डिडावा तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।		1. रवा पुत्र चिमनाराम 2. करसन पुत्र चिमनाराम 3. पदमाराम पुत्र चिमनाराम 4. सोमाराम पुत्र चिमनाराम 5. फुलीदेवी पत्नि चिमनाराम जाति कोली, निवासी–डिडावा, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर

उपस्थित : प्रार्थीगण वकील – श्री पवन धारीवाल

–: निर्णय :–

दिनांक 04/04/23

प्रार्थीगण पीथाराम पुत्र रामाराम वगैरा जातियान कोली निवासी डीडावा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षेप मे सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य का एक खेत खसरा सख्या 163/71 रकबा 94.09 बीघा का मौजा डीडावा पटवार क्षेत्र भंवरिया भू–अभिलेख निरीक्षक बाखासर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में आया हुआ है। विप्रार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य का एक खेत खसरा सख्या 164/71 रकबा 34.00 बीघा मौजा डीडावा पटवार क्षेत्र भंवरिया भू–अभिलेख निरीक्षक बाखासर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर आया हुआ है। वास्तव में ऊपर वर्णित खसरा संख्या 163/71 व खसरा संख्या 164/71 का मूल खेत खसरा संख्या 71 रकबा 128.09 बीघा मौजा डीडावा में आया हुआ है। खसरा संख्या 71 का पर्चा लगान विप्रार्थीगण के पिता रामाराम पुत्र कानाराम के नाम वक्त सेटलमेन्ट पर्चा लगान जारी हुआ था। प्रार्थीगण के पिता के नाम खसरा नम्बर 71 वक्त सेटलमेन्ट दर्ज होने के पश्चात् करीब 40 वर्ष पश्चात् विप्रार्थीगण के पिता चिमना द्वारा एक राजस्व अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का श्रीमान सहायक कलेक्टर गुड़ामालानी मुख्यालय बाड़मेर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जो राजस्व वाद संख्या 114/87 बअनवान चिमना बनाम रामा वगैरह दर्ज किया गया। उक्त वाद में गांव के मौजीज व्यक्तियों द्वारा प्रार्थीगण के

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

रामा को थोरा किया कि आपका छोटा भाई है। एवं यह मौजा सुराचन्द की भूमि छोड़कर यहां आया है इसलिए आप इसको थोडी सी जमीन दे दो तब प्रार्थीगण के पिता रामा द्वारा मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए विप्रार्थीगण के पिता को 34.00 बीघा भूमि देने पर सहमति दी। जिस पर गांव के मौजिज व्यक्तियों द्वारा श्रीमान सहायक कलेक्टर गुड़ामालानी मुख्यालय बाड़मेर की न्यायालय में उक्त वाद में राजीनामा प्रस्तुत किया एवं राजीनामा के अनुसरण में विप्रार्थीगण के पिता को 34.00 बीघा भूमि उमा पुत्र कालू एवं केहरा पुत्र पेमा के सेढे की तरफ व इसके पूर्व तरफ वाली दी गई। जिसे परिशिष्ट 'ब' में बरंग लाल से दर्शाया गया है। सही प्रतिलिपि निर्णय दिनांक 28.06.1989 की संलग्न है। उक्त निर्णय के अनुसार वादग्रस्त खेत खसरा संख्या 71 को विभाजित किया जाकर खसरा सख्या संख्या 163/71 रकबा 94.09 बीघा प्रार्थीगण के पिता की खातेदारी में रखा एवं खसरा नम्बर 164/71 रकबा 34.00 बीघा विप्रार्थीगण की खातेदारी में रखा गया। परन्तु विप्रार्थीगण के पिता द्वारा चालाकी पूर्वक खसरा सख्या 164/71 की तरमीम गलत रूप से करवाते हुए केहरा पुत्र पेमा का सम्पूर्ण सेढा प्राप्त कर लिया जबकि वास्तव में उमा पुत्र कालु का सम्पूर्ण सेढा एवं केहरा पुत्र पेमा के पूर्वी दिशा का सेढे पर तरमीम करवानी चाहिये थी परन्तु विप्रार्थीगण के पिता द्वारा पटवारी हल्का से षडयंत्र कर परिशिष्ट 'अ' में दर्शायी गई तरमीम करवाई है। जो न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर की गई है। प्रार्थीगण अपने खेत खसरा नम्बर 163/71 रकबा 90.09 बीघा पर काबिज है एवं उनके उक्त खेत में रहवासी ढाणीया, टांके चार बाडे इत्यादि बने हुए है लेकिन उक्त गलत तरमीम होने के कारण प्रार्थीगण के कब्जे एवं काश्त वाली भूमि विप्रार्थीगण के कब्जे एवं काश्त की भूमि में बताई जा रही है। प्रार्थीगण परिशिष्ट 'ब' में बरंग हरे रंग के अनुसार मौके पर काबिज है। जबकि विप्रार्थीगण के पिता ने परिशिष्ट 'अ' के अनुसार गलत तरमीम करवा दी है जो निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के खेतों की सही तरमीम प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये जा रहे नक्शे परिशिष्ट 'ब' में बरंग हरे दर्शाये अनुसार तरमीम करने के आदेश प्रदान करावे।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस तलब किये

ए। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त होने के बावजुद भी उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। इस संबंध में तहसीलदार सेड़वा से तरमीम दुरस्ती मौका रिपोर्ट हेतु लिखा गया जो प्राप्त हुई। मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम डिडावा के खसरा संख्या 163/71 रकबा 94.09 बीघा एवं खसरा संख्या 164/71 रकबा 34.00 बीघा स्थित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण उपस्थिति मिले। वादीगण व प्रतिवादीगण , मुखिया मोतबराने, सेढे पड़ोसियों की उपस्थिति में तरमीम दुरूस्ती हेतू ग्राम डीडावा के खसरा संख्या 163/171 रकबा 94.09 बीघा व खसरा संख्या 164/71 रकबा 34.00 बीघा भूमि का मौका देखा गया। मौके पर काश्त कब्जा एवं रेकर्ड लट्ठा नक्शा में की गई तरमीम नक्शा में भिन्नता पाई गई। रेकर्ड से अवलोकन करने से पाया कि वक्त सेंटलमेंट में मूल खसरा नम्बर 71 रकबा 128.09 बीघा था। बाद में माननीय न्यायालय सहायक कलेक्टर गुढामालानी के निर्णयनुसार ग्राम डिडावा के नामान्तरकरण संख्या 102 के द्वारा मूल खसरा संख्या 71 विभाजित होकर खसरा संख्या 71 रकबा 94.09 बीघा व खसरा संख्या 71/1 रकबा 34.00 बीघा हो गया। लेकिन लट्ठा नक्शा में खसरान 71 की तरमीम लिपिकिय त्रुटि से वादीगण व प्रतिवादीगण के काश्त कब्जा, ढाणियां रहवासी, टांको, बाड़ों व अन्य निर्माण के अनुसार नहीं की जाकर गलत दर्ज हो गई। ग्राम डिडावा के खसरा न.163/71 व 164/71 की भूमि व खातेदारो का विवरण निम्मन प्रकार है:—

क्र.स.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा(हैक्टर)	किस्म
1	करनाराम, पिथाराम पिता रामाराम कोम कोली सा. देह खातेदार रहन एस.बी.आई शाखा सेड़वा	163/71	15.2890	बा.सो
2	पदमाराम, रवाराम, करसन,सोमाराम पिता चिमनाराम, फुलीदेवी पत्नि चिमनाराम कौम कोली सा.देह खातेदार	164/71	5.5037	बा.सो.

उपरोक्त खसरों नम्बरान खातेदारों के काश्त, कब्जा, ढाणियां, टांके, कुंए, बाड़े व अन्य पक्के निर्माण वर्तमान रेकर्ड लट्ठा नक्शा की तरमीम नक्शा से प्रभावित होते है वर्तमान नक्शा तरमीम परिशिष्ट 'अ' तैयार किया गया। मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगणों की रहवासी ढाणियां, काश्त कब्जे, टांके, कुंए, बाड़े, व अन्य पक्के निर्माण के अनुसार तरमीम

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

ी हेतु प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ट 'ब' तैयार किया गया। तरमीम दुरस्ती हेतू प्रस्तावित परिशिष्ट 'ब' के अनुसार वर्तमान लट्‌ठा तरमीम किये जाने से वादीगण व प्रतिवादीगणों के काश्त कब्जा, रहवासी ढाणियों, कुंए, टांके व अन्य निर्माण प्रभावित नहीं होते है। प्रस्तावित तरमीम नक्शा परिशिष्ट 'ब' के अनुसार तरमीम दुरस्ती किये जाने की वादीगणों व प्रतिवादीगणों ने सहमति दी गई है। उक्त मौका फर्द उपस्थित सभी का पढकर सुनाई गई। सभी ने सुन–समझ कर अपने–अपने हस्ताक्षर/अंगुष्ठ किये।

प्रार्थीगण वकील उप0। वकील प्रार्थीगण ने तहसीलदार सेड़वा द्वारा मौका रिपोर्ट पर बहस सुनने का निवेदन किया। वकील की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण वकील ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार तरमीम दुरस्ती की जावें। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने योग्य है।

अतः **प्रार्थीगण पीथाराम पुत्र रामाराम वगैरा जातियान कोली निवासी डीडावा तहसील सेड़वा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी मौजा डिडावा पटरवार क्षेत्र भवरिया भू अभिलेख क्षेत्र बाखासर के खेत खसरा संख्या 163/71 रकबा 15.2890 हैक्ट. व खसरा संख्या 164/71 रकबा 5.5037 हैक्ट. में नियमानुसार तरमीम दुरस्ती करने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त मौका रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता हैं कि इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें। तहरीर जारी हो। पत्रावली संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।**

निर्णय आज दिनांक 04/04/23 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा